प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 दिसम्बर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुभान उर्फ कालू पुत्र श्री रामकुमार यादव निवासी जनपद-उन्नाव की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30388/प्रोबे0अनु0(2)-218/सला0समिति/(एम 05-06-2020)/2020 दिनांक 09.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुभान उर्फ कालू पुत्र श्री रामकुमार यादव, पवार खेड़ा, मजरा तकिया निगोही, थाना-फतेहपुर चौरासी, जनपद-उन्नाव का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 25.07.2005 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पैसों के विवाद में तमन्चा से गोली मारकर राजेश नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-441/05 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-06, उन्नाव के आदेश दिनांक 23.09.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 15.07.2016 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 25.11.2020 तक 15 वर्ष 03 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 00 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 31.10.2020 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 न्यायालय का अभिमत भी प्राप्त किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-7, उन्नाव के पत्र दिनांक 14.08.2020 में उल्लिखित है कि वाद संख्या-441/2005 अपराध संख्या-295/2005 धारा-302 के अन्तर्गत अभियुक्त सुभान उर्फ कालू का आजीवन कारावास व 5000/- रू0 जुर्माने से दण्डित किया गया है। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु कोई अभिमत नहीं दिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 25.07.2005 को बंदी द्वारा 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पैसों के विवाद में तमन्चा से गोली मारकर राजेश नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। बंदी की आयु लगभग 42 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से सशक्त है। बंदी के कारागार से मुक्त होने पर विपक्षीगणों तथा उसकी जान-माल का खतरा उत्पन्न होने का अंकन जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सुभान उर्फ कालू पुत्र श्री रामकुमार यादव को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: रिट याचिका (क्रिमि0) संख्या-280/2019 सुभान उर्फ कालू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के अन्तर्गत योजित मिसलेनियस अप्लीकेशन नं0-1576/2020 में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.09.2020 के अनुपालन तथा उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुभान उर्फ कालू (बन्दी संख्या-26679) पुत्र श्री रामकुमार यादव निवासी जनपद-उन्नाव की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-584/2020/1185(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in